रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219600
CG-DL-E-27052020-219600

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]	**नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2020/ज्येष्ठ 6, 1942**
No. 240]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2020/JYAISTHA 6, 1942**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 315(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, -

(क) नियम 10फ में, -

(i) उपनियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(11) उपनियम (5) से उपनियम (10) के उपबंध 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे।

(12) निधि प्रबंधक को निधि द्वारा संदत्त की जाने वाली पारिश्रमिक की ऐसी रकम, जिसे धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड) में निर्दिष्ट की गई है, निम्नलिखित रीति से गणना की जाएगी, अर्थात्:-

(i) ऐसी दशा में, जहां निधि श्रेणी-1 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के विनियम 5 के खंड (क) के मद (i), मद (ii) या मद (iii) और मद (iv) के उपमद III में निर्दिष्ट की गई है, पारिश्रमिक की रकम प्रबंधन के अधीन आस्ति का 0.10 प्रतिशत होगी ।

(ii) अन्य दशा में, पारिश्रमिक की रकम निम्नलिखित होगी, -

(क) प्रबंधन के अधीन आस्ति का 0.30 प्रतिशत, या

(ख) निधि प्रबंधक द्वारा किए गए निधि प्रबंधन कार्यकलाप से विनिर्दिष्ट बाधा दर से अधिक निधि द्वारा प्राप्त लाभों का 10 प्रतिशत, जहां यह केवल निधि द्वारा प्राप्त आय या लाभों से जुड़े पारिश्रमिक का हकदार है; या

(ग) प्रबंधन फीस का 50 प्रतिशत, चाहे वह नियत भार की प्रकृति में हो या निधि प्रबंधक द्वारा किए गए प्रबंधन कार्यकलाप से निधि द्वारा प्राप्त आय या लाभों से जुड़ा हो या निधि प्रबंधक द्वारा किए गए प्रबंधन कार्यकलाप की वाबत ऐसी निधि द्वारा संदत्त जो परिचालन व्यय, जिसके अंतर्गत वितरण व्यय, यदि कोई हो, से उद्भूत रकम द्वारा कम किया गया हो;

परन्तु इस उपखंड के उपबंध केवल तभी लागू होंगे जब निधि का किसी अन्य निधि प्रबंधक को प्रबंधन फीस का संदाय कर रही है;

परन्तु यह और कि उस दशा में जहां पारिश्रमिक की रकम खंड (i) या खंड (ii) के अधीन प्राप्त रकम से कम है वहां निधि अपने विकल्प पर 10फक के उपनियम (2) में निर्दिष्ट सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पारिश्रमिक की रकम के रूप में उस कम रकम के लिए उक्त नियम के अधीन बोर्ड के अनुमोदन की ईप्सा करते हुए आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर,बोर्ड सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् ऐसी कम रकम को पारिश्रमिक की रकम के रूप के अनुमोदित कर सकेगा।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनों के लिए.-

(क) "प्रबंधन के अधीन आस्ति " से निधि के ऐसे हिस्से के मूल्य के आरंभिक और अंतिम अतिशेष के मासिक औसत का वार्षिक औसत अभिप्रेत है जो निधि प्रबंधक द्वारा प्रबंधित किया जाता है;

(ख) "प्रबंधन फीस" से एक लेखाकार से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित रकम अभिप्रेत है जो इस प्रोयजन के लिए नियम 11पख के स्पष्टीकरण के खंड (i) में यथापरिभाषित है ;

(ग) "विनिर्दिष्ट बाधा दर" से ऐसी पूर्व परिभाषित अवसीमा अभिप्रेत है जिससे परे निधि प्रबंधक द्वारा किए गए निधि प्रबंधन कार्यकलाप से निधि द्वारा अर्जित लाभों के किसी शेयर का संदाय करने के लिए सहमत है ।

(13) निधि प्रबंधक, धारा 9ङ के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी रिपोर्ट के अतिरिक्त, निधि के लिए किए गए कार्यकलाप की बाबत लेखाकार से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट को ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यकरुप से सत्यापित प्ररुप सं. 3गङञक में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले उसमें उपदर्शित रीति में प्रस्तुत करेगा और अधिनियम के सभी उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों यह धारा 92ङ के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट हो ।";

(ii) उपनियम (11) और उपनियम (12) को क्रमशः उपनियम (14) और उपनियम (15) के रुप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ।";

(ख) मूल नियमों के परिशिष्ट II में,-

(i) प्ररुप सं. 3गङञ के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 3 गङ्ञक

[नियम 10फ (13) देखिए]

किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा कतिपय शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में धारा 9क के प्रयोजन के लिए किसी लेखापाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

*मैंने / हमने.......... (पैन सहित निधि प्रबंधक का नाम और पता) के निधि प्रबंधन कार्यकलाप और अन्य संव्यवहारों या सेवाओं, जिन्हें निधि प्रबंधक द्वारा पात्र विनिधानकर्ता निधि / निधियों को 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के दौरान प्रदान किया गया है, के संबंध में लेखाओं और अभिलेखों की जांच कर ली है,

1. *मेरी/हमारी राय में निधि प्रबंधक द्वारा निधि प्रबंधन कार्यकलाप और निधि प्रबंधक द्वारा किए गए संव्यवहारों या निधि / निधियों को दी गई सेवाओं की बाबत जहाँ तक निधि प्रबंधक के अभिलेखों की *मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, यथाविहित उचित सूचना और दस्तावेज रखे गए हैं|

2. धारा 9क के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विषिश्टियाँ इस प्ररूप के उपाबंध में दी गई हैं। *मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और *मुझे/ हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबंध में दी गई विषिश्टियाँ सत्य और सही हैं|

** हस्ताक्षरित

नामः

पताः

स्थान : सदस्यता सं. :

तारीखः

टिप्पण :

1. * जो लागू न हो, उसे काट दें ।

2. ** इस रिपोर्ट पर धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित लेखापाल द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

प्ररूप सं. 3 गङ्ञक के उपाबंध

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क के प्रयोजनों के लिए दिए जाने के लिए अपेक्षित निधि प्रबंध कार्यकलाप से संबंधित विशिष्टियां

1. निधि प्रबंधक का नाम
2. पता
3. स्थायी लेखा संख्यांक
4. निधि प्रबंधक के कारबार या कार्यकलाप की प्रकृति
5. प्रास्थिति

6. आवासीय प्रास्थिति

7. भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के ब्योरे

(क) विनियम, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है

(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीख

(ग) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी, यदि लागू हो

8. समाप्त हुआ पूर्ववर्ष

9. क्या निधि प्रबंधक और निधि धारा 92ख के अधीन उपबंध के निबंधनानुसार है? हां / नहीं

10. लेखा बहियों के अनुसार पात्र निधि/ निधियों से प्राप्त पारिश्रमिक का संकलित मूल्य

11. निम्नलिखित ब्योरों सहित, उन पात्र विनिधान निधियों की सूची, जिनके लिए निधि प्रबंधक ने निधि प्रबंध कार्यकलाप किए हैं

(क) अपतट निधि का नाम

(ख) निधि के आवास का देश

(ग) क्या निधि प्रबंधक, निधि का कोई कर्मचारी है? हां /नहीं

(घ) क्या निधि प्रबंधक, निधि से सम्बंधित व्यक्ति है? हां /नहीं

(ङ) निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए कार्यकलापों से निधि को पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत लाभ की रकम

(च) (ड.) में से वह रकम, जिसका निधि प्रबंधक अपने सम्बंधित व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: हकदार है

12. प्रत्येक पात्र विनिधान निधि और किए गए प्रत्येक कार्यकलाप की बाबत प्राप्त पारिश्रमिक की विशिष्टियां (यदि ऐसे कार्यकलाप का पारिश्रमिक पृथकत: दिया गया है):

(क) निधि का नाम और पता, जिसके लिए निधि प्रबंधक ने कार्यकलाप किया है

(ख) कार्यकलाप का वर्णन

(ग) कार्यकलाप की बाबत प्राप्त या प्राप्त कुल रकम –

(i) लेखा बहियों के अनुसार;

(ii) इस निमित्त विहित रकम के संबंध में निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित;

13. पात्र विनिधान निधि के साथ/ की ओर से निधि प्रबंधक द्वारा किए गए किसी अन्य संव्यवहार की बाबत विशिष्टियां :

(क) क्या निधि प्रबंधक ने कोई अन्य संव्यवहार किया है या पात्र विनिधान निधि को या निधि की ओर से कोई अन्य सेवा दी हैं, किन्तु जो पूर्वोक्त में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हो — हाँ/ नहीं

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक निधि और प्रत्येक संव्यवहार या सेवा की बाबत निम्नलिखित ब्यौरे दें:

(i) पात्र विनिधान निधि का नाम और पता, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या जिसको सेवा दी गई है

(ii) संव्यवहार का वर्णन/ सेवा की प्रकृति

(iii) ऐसे संव्यवहार/सेवा के मद्दे संदत्त/प्रप्त या संदेय/प्राप्त रकम-

- लेखा बहियों के अनुसार ;
- संन्निकट कीमत को ध्यान में रखकर निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित

(iv) संन्निकट कीमत के अवधारण के लिए प्रयुक्त पद्धति (धारा 92ग (1) देखिए)

**हस्ताक्षरित ....

स्थान: नाम:......................

तारीख: पता :.....................

टिप्पण: **यह रिपोर्ट धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित की जानी है ।

(ii) प्ररूप सं. 3गडट के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"प्ररूप सं. 3गडट

(नियम 10 फख देखिए)

किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

क्र. सं.	शीर्षक	ब्यौरे	टिप्पणियां, यदि कोई हों
1	वित्तीय वर्ष, जिसके लिए विवरण प्रस्तुत किया गया है		
2	पात्र निधि का नाम		
3	निधि का पता		
4	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)		
5	आवास का देश		
5क	आवास के देश का कर पहचान संख्यांक, यदि कोई हो		
6	निधि का लेखा वर्ष		
7	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन, यदि कोई हो, के ब्यौरे		
8	क्या वित्तीय वर्ष के दौरान निधि धारा 9क में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है और अनुमोदित निधि की दशा में, क्या उन शर्तों को भी पूरा किया है, जिनके अध्यधीन अनुमोदन प्रदान किया गया था हाँ / नहीं		
9	यदि 8 का उत्तर नहीं में है, तो उसके ब्यौरे और पूरा नहीं किए जाने की अवधि तथा उसके कारण दें		
10	क्या भारत में निवासी किसी व्यक्ति का निधि में वर्ष के दौरान प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई भागीदारी हित था? हां /नहीं		

11	यदि 10 का उत्तर हां में है, तो व्यक्ति (व्यक्तियों) और प्रतिशतता हित के ब्यौरे दें		
12	किसी भारतीय समुत्थान की बाबत वर्ष के दौरान किए गए किसी शेयर धारिता करार के ब्यौरे		
13	निधि के लिए या उसकी ओर से सेवाएं देने वाले भारत में निधि प्रबंधक (प्रबंधकों) के ब्यौरे और उनके भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
14	क्या निधि प्रबंधक (प्रबंधकों) को संदत्त पारिश्रमिक विहित रकम से कम नहीं है और वह आधार, जिस पर यह अवधारित किया गया है		
15	भारत में निधि द्वारा या निधि की ओर से 13 में उपदर्शित निधि प्रबंधक के माध्यम से भिन्न माध्यम से किए गए किसी अन्य कार्यकलाप के ब्यौरे		
16	निधि द्वारा उसके विनिधानों पर प्राप्त लाभ की रकम		
17	निधि के प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के संपर्क ब्यौरे		

सत्यापन

मैं ....(पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में)............................पुत्र/ पुत्री................................. (पदनाम)...................... ऊपर लिखित..................(निधि का नाम) की ओर से सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि प्ररूप में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शायी गई अन्य विशिष्टियों का सत्य कथन है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह प्ररूप मेरे ....हैसियत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ/ रही हूँ और मैं इसे प्रस्तुत करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

आज तारीख ....को सत्यापित किया गया।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ...."।

[अधिसूचना सं. 29/2020 /फा. सं. 142/15/2015-टीपीएल)]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उप-खंड (i) में सं. का. आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं. सा.का.नि. 304 (अ),तारीख 20.05.2020 द्वारा संशोधित किए गए।